



संदर्भ सं. राबैं.डॉस/पॉल/ 4460 / जे.1/ 2018-19

05 मार्च 2019

परिपत्र सं.50 / डॉस - 05 / 2019

प्रबंध-निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी राज्य सहकारी बैंक / सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदया/प्रिय महोदय

भारत सरकार से प्राप्य ब्याज सहायता राशि पर जोखिम भारिता निर्धारित करने के संबंध में
हमें सहकारी बैंकों से "भारत सरकार से प्राप्य ब्याज सहायता राशि" के लिए जोखिम भारिता निर्धारित करने के संबंध में संदर्भ प्राप्त हुए हैं। हमने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इस मामले की जांच की है और हम सूचित करते हैं कि -

- i. चूंकि 'प्राप्य ब्याज सहायता राशि' भारत सरकार से सीधे दावे के रूप में प्राप्त होती है, अतः इस पर जोखिम भारिता 'शून्य' रखी गयी है।
 - ii. 'प्राप्य ब्याज सहायता राशि' को 'अन्य आस्तियां' शीर्ष के अंतर्गत "भारत सरकार से प्राप्य ब्याज सहायता" नामक एक अलग उप-शीर्ष के तहत शून्य प्रतिशत की जोखिम भारिता के साथ रिपोर्ट किया जाए।
2. अन्य मदों की जोखिम भारिता भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 29 अक्टूबर 2014 के परिपत्र सं.आरपीसीडी.आरसीबी.बीसी सं.37/07.51.012/ 2014-15 में इंगित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
3. कृपया दिनांक 16 मार्च 2018 के हमारे परिपत्र सं.राबैं.डॉस.प्रका.पॉ/ 4799/ जे-1/2017-18 (परिपत्र सं.46/डॉस-13/ 2018) के माध्यम से प्रेषित अनुदेशों को रद्द मान लिया जाए।
4. कृपया इस परिपत्र की पावती हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भिजवा दें।

भवदीय

dh 31/22/1d

(के.आर.राव)

मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीयकृषिऔरग्रामीणविकासबैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पर्यवेक्षण विभाग

प्लॉटक्रसी-24, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 2653 1834 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0103 • ईमेल: dos@nabard.org

Department of Supervision

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 2653 1834 • Fax: +91 22 2653 0103 • E-mail: dos@nabard.org